

# कार्यकारी सारांश

## कार्यकारी सारांश

झारखण्ड सरकार के मार्च 2012 का समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2007, बजट दस्तावेजों, मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम.टी.एफ.पी.), आर्थिक समीक्षा, तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) का प्रतिवेदन एवं विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय आँकड़ों पर आधारित है। प्रतिवेदन चार अध्यायों में संगठित है।

**अध्याय 1** वित्तीय लेखाओं की लेखा परीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2012 को सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करती है। यह राज्य के सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति, प्रतिबद्ध व्यय की वास्तविकता के सापेक्ष बजट आकलन और ऋण प्रतिरूपों पर एक अंतर्दृष्टि के अलावा गैर-बजटीय माध्यमों से राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार (भा.स.) से सीधे हस्तांतरित केन्द्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा प्रस्तुत करती है।

**अध्याय 2** विनियोजन लेखाओं के लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों की अनुदान-वार विवरणी प्रस्तुत करने एवं आवंटित संसाधनों के सेवा प्रदाता विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करती है।

**अध्याय 3** तीन विभागों क्रमशः शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं गृह विभाग जिसमें वृहद ए.सी.विपत्र बकाया था, के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों का अनुपालन लेखा परीक्षा प्रस्तुत करती है।

**अध्याय 4** झारखण्ड सरकार की विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकता एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की सूची है।

प्रतिवेदन निष्कर्षों के समर्थन में सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से समानुक्रमित की गई आकड़ों का संकलन भी है। प्रतिवेदन के अन्त में **परिशिष्ट 5.1** प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दों एवं संक्षिप्त रूपों का शब्दावली प्रस्तुत करती है।

### लेखा परीक्षा निष्कर्ष

#### अध्याय 1

**राजकोषीय अनुशासन** : राज्य सरकार ने 2011-12 में राजकोषीय स्थिति सुधारने में सफल रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 22,420 करोड़) 19.4 प्रतिशत बढ़ी है जबकि राजस्व व्यय (₹ 20,992 करोड़) 17 प्रतिशत से बढ़ा है। फलस्वरूप, वर्ष 2011-12 के दौरान, राजस्व आधिक्य ₹ 1,428 करोड़ से बढ़ा है।

तथापि, राजस्व आधिक्य मध्यकालीन राजकोषीय नीति के लक्ष्य ₹ 5,379 करोड़ की तुलना में कम था। राजकोषीय घाटा (₹ 1,924 करोड़) भी वर्ष 2011-12 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का 1.54 प्रतिशत रहा जो ते.वि.आ. के अनुशंसा के अन्दर (तीन प्रतिशत) था। यद्यपि, वर्ष 2011-12 के दौरान, स.रा.घ.उ. में वृद्धि ते.वि.आ. मानदण्ड 14.14 प्रतिशत के सापेक्ष 12.1 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2011-12 के दौरान, वास्तविक प्राप्तियाँ बजट आकलन से ₹ 5,326 करोड़ कम रहा। राज्य के स्वयं का कर एवं कर भिन्न राजस्व का समावेशन 45 प्रतिशत था, जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान का समावेशन 55 प्रतिशत रहा। पिछले वर्ष की अपेक्षा भारत सरकार से सहायता अनुदान में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2011-12 के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का 86 प्रतिशत था। इसकी वृद्धि स.रा.घ.उ. के वृद्धि दर से काफी अधिक थी। योजनागत राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) और गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) कुल राजस्व व्यय का क्रमशः 36 प्रतिशत एवं 64 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में यो.रा.व्य. 27 प्रतिशत से और गै.यो.रा.व्य. 12 प्रतिशत से बढ़ा। वर्ष 2011-12 के दौरान, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता कुल राजस्व व्यय का 22 प्रतिशत था।

**पूँजीगत व्यय:** वर्ष 2011-12 के दौरान, पूँजीगत व्यय (₹ 3,159 करोड़) वर्ष 2011-12 के सापेक्ष ₹ 495 करोड़ बढ़ा। तथापि, इसका प्रतिशत वर्ष 2009-10 के दौरान, 15 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व एवं प्राथमिक आधिक्य के बावजूद, 13 प्रतिशत पर स्थिर रहा। पूँजीगत व्यय से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत एम.टी.एफ.पी के 3.15 प्रतिशत के अनुमान के सापेक्ष 2.54 प्रतिशत रहा।

**विकास व्यय पर जोर :** कुल विकास व्यय वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में 15 प्रतिशत के औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा। वर्ष 2011-12 के दौरान, विकासात्मक राजस्व व्यय की हिस्सेदारी कुल व्यय का 54 प्रतिशत थी, जबकि विकासात्मक पूँजीगत व्यय केवल 13 प्रतिशत थी।

**सरकारी निवेशों की समीक्षा :** सरकारी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, बैंकों एवं समितियों में सरकारी निवेशों (31 मार्च, 2012 तक ₹ 182.57 करोड़) पर प्रतिफल विगत पाँच वर्षों के दौरान एक प्रतिशत से भी कम थी, जबकि 2007-12 के दौरान, सरकारी उधारों पर व्यय अपेक्षाकृत काफी अधिक थी (औसत ब्याज दर 7.42 प्रतिशत से 8.03 प्रतिशत)।

**राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का हस्तांतरण :** राज्य बजट के बाहर, भारत सरकार वर्ष 2011-12 के दौरान, ₹ 4,194.42 करोड़ का हस्तांतरण सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को किया। चूंकि वार्षिक वित्त लेखे ऐसे निधियों के प्रवाह को

अधिग्रहण नहीं करती है, अतएव, राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय इस सीमा तक कम हो जाता है। इसके अलावा, अभिकरणों को निधियों का सीधा हस्तांतरण जबतक इसमें समरूप लेखांकन पद्धति का अनुपालन नहीं होता है, उन अभिकरणों द्वारा निधियों का अनुचित अनुप्रयोग के खतरों को भी बढ़ाती है।

**राजकोषीय दायित्व :** राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹ 30,664 करोड़) पिछले वर्ष के सापेक्ष सात प्रतिशत बढ़ा। राजकोषीय दायित्व वर्ष 2009-10 में स.रा.घ.उ. के 28 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर 24.7 प्रतिशत (ते.वि.आ. के वर्ष के लिए 28.5 प्रतिशत की अनुशंसा के विरुद्ध) हो गया।

**ऋण धारणीयता :** वर्ष 2007-12 के दौरान, स.रा.घ.उ. में उतार-चढ़ाव के कारण प्राथमिक घाटा/आधिक्य के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार में (-)₹ 2,022 करोड़ से ₹ 3,087 करोड़ के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। वर्ष 2010-11 में ₹ 1,825 करोड़ की तुलना में यह वर्ष 2011-12 के दौरान आंशिक रूप से कम हुआ (₹ 1,618 करोड़)। तथापि, राज्य ऋण धारणीय स्थिति की ओर अग्रसर था। ऋण से स.रा.घ.उ. का अनुपात, वर्ष 2011-12 के दौरान, एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य 25 प्रतिशत के सापेक्ष 24.7 प्रतिशत था।

## अध्याय 2

**वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण:** वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 9,998.50 करोड़ की विशाल बचतें हुईं जो अनुचित बजट आकलन को इंगित करती हैं। विभिन्न योजनाओं/उप-शीर्षों के अन्तर्गत विशाल बचतें राज्य के विकास संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 420.16 करोड़ उपबंधों से अधिक व्यय हुए जिसे भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2001-2011 के दौरान किया गया ₹ 8,120.63 करोड़ का अधिक व्यय को भी नियमित किया जाना शेष था। विगत पाँच वर्षों से, सामाजिक सेवाएँ एवं आर्थिक सेवाएँ प्रदान करने वाले नौ विभागों में लगातार बचतें दर्ज की गईं। 79 उप-शीर्षों में, ₹ 3,252.83 करोड़ का अभ्यर्पण वर्ष के अंतिम दो दिनों में किया गया जिससे इन निधियों को अन्य विकास कार्यों में उपयोग करने का कोई अवसर नहीं रहा। 16 शीर्षों में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में किया गया। व्यय का वेग बजट एवं व्यय पर उचित नियंत्रण को बाधित करती है। वर्ष 2011-12 के दौरान, नियंत्रण अधिकारियों ने व्यय (₹ 20,101 करोड़) एवं प्राप्तियों (₹ 9,822 करोड़) का महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड के बही के साथ समाशोधन नहीं किया।

### अध्याय 3

**संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र का अनुपालन लेखा परीक्षा :** झारखण्ड में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र से वर्ष 2000-2012 के दौरान विशाल (₹ 13,543 करोड़) का आहरण किया गया और विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के नहीं जमा करने के कारण विपत्र दीर्घावधि तक बकाया (₹ 6,861 करोड़, जून 2012 तक) रहा। ए.सी. विपत्रों का आहरण ऐसे उद्देश्यों के लिए भी पाया गया जिसके लिए अग्रिम आहरण मान्य नहीं था। विभागों ने योजना कार्यान्वयन एवं अन्य योजना/पूँजीगत व्यय के लिए भी ए.सी.विपत्र का आहरण किया। आहरण एवं संवितरण अधिकारी पूर्व में आहरित ए.सी. विपत्रों के लिए डी.सी.विपत्रों के जमा करने संबंधी गलत प्रमाण पत्र देकर बार-बार ए.सी.विपत्रों का आहरण किया। हमलोगों ने यह भी अवलोकन किया कि वित्तीय वर्ष के अन्त में योजना निधि का आहरण, यद्यपि इसका शीघ्र भुगतान आवश्यक नहीं था, ए.सी. विपत्र से बजटीय आवंटनों को व्यपगत होने से बचाने के लिए किया गया। साथ ही व्यय नहीं किए गए/अप्रयुक्त ए.सी. विपत्र से आहरित राशि सरकारी खातों में नहीं रखकर बैंक खातों में रखा गया। आगे, राज्य बजट में फ्लैगशीप कार्यक्रमों के निधियों का सहायता अनुदान के रूप में प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप इसका आहरण ए.सी.विपत्रों से किया गया।

### अध्याय 4

**वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करना :** राज्य के संस्थाओं/निकायों द्वारा ₹ 6,836.04 करोड़ के सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं जमा किया गया, जिससे राज्य सरकार इसके संचालन में दायित्व सुनिश्चितिकरण एवं कार्यदक्षता सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने में बाधित हुई। सितम्बर 2012 तक 74 निकायों और प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखण्ड को प्राप्त नहीं हुए। व्यक्तिगत जमा खाता, जिसमें सरकारी राशि जमा थी, वित्तीय वर्ष के अंत में बंद नहीं किया गया था।